न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./5741/2005/बीकानेर

खींव सिंह पुत्र श्री फतह सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अगनेऊ, तहसील कोलायात, जिला बीकानेर।

-- अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार।

-- रैस्पोण्डेण्ट

अपील/एल.आर./5743/2005/बीकानेर

बाघा सिंह पुत्र फतह सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अगनेऊ, तहसील कोलायात, जिला बीकानेर।

-- अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री वी0पी0 सिंह, राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 05-06-2018

हस्तगत दोनों द्वितीय अपीलें धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपील संख्या 5741/2005 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 13/2004 अनुवानी खींव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13-10-2005 के विरुद्ध एवं अपील संख्या 5743/2005 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 14/2004 अनुवानी बाघ सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13-10-2005 के विरुद्ध के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। दोनों ही प्रकरणों के तथ्य व विवाद बिन्दु

समान होने से दोनों अपीलों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। निर्णय सम्बन्धित पत्रावली में लगाया जाए।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी खींव सिंह पुत्र फतह सिंह को ग्राम अगनेऊ की आराजी खसरा नम्बर 210/2 रकबा 19 बीघा भूमि एवं अपीलार्थी रुप सिंह उर्फ बाघ सिंह पुत्र फतह सिंह को ग्राम अगनेऊ की आराजी खसरा नम्बर 210/2 रकबा 13 बीघा भूमि, उप निवेशन तहसीलदार द्वारा अस्थाई काश्त हेतु आवंटन किया, जो बाद में बढाया जाता रहा। सहायक आयुक्त, उप निवेशन, इं0गा0न0प0, कोलायत ने आदेश दिनांक 18-12-2003 से आराजी खसरा नम्बर 210/2 रकबा 19 बीघा एवं 13 बीघा को अपीलार्थी के नाम से खारिज कर जरिए नामांतरकरण रकबा राज दर्ज करने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत होने पर विद्वान अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 13-10-2005 से दोनों अपील खारिज की गई हैं, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत दोनों अपील हैं।

3 - अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4- अपीलार्थी के योग्य अभिभाषकगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलार्थी के पास प्रश्नगत भूमि सन् 1960 से ही टी0सी0 में चली आ रही है और काफी शारीरिक श्रम करके अपीलार्थी ने भूमि को उपजाऊ बनाया है। केवल शिकायत कर्त्ता की शिकायत के आधार पर, अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किए बिना व सुनवाई का अववसर प्रदान किये बिना, तथ्यों के विपरीत जाते हुये आदेश दिनांक 18-12-2003 सहायक आयुक्त ने पारित किया है और इसे अविधिक रुप से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पुष्ट किया है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है और जब तक अपीलार्थी को सुना नहीं जाता है तब तक इस तथ्य की पुष्टि नहीं मानी जा सकती है कि अपीलार्थी खींव सिंह के पास 30-10 बीघा व उसकी पत्नी के पास 83-6 बीघा भूमि तथा अपीलार्थी बाघसिंह के पास पिता की भूमि में से 30-10 बीघा व पत्नी के पास 25 बीघा कमाण्ड भूमि पूर्व से उपलब्ध रही है। अपीलार्थी के पक्ष में टी0सी0 आवंटन विधिवत पूर्ण जॉच उपरान्त जारी किया गया था और जॉच के आधार पर ही इसे समय समय पर बढाया जाता रहा है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों तथ्यों व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जावें।

5- रैस्पो0 के योग्य राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि यह साक्ष्य से बखूबी पुष्ट है कि अपीलार्थी खींव सिंह के पास 30-10 बीघा व उसकी पत्नी के पास 83-6 बीघा भूमि तथा अपीलार्थी बाघसिंह के पास पिता की भूमि में से 30-10 बीघा व पत्नी के पास 25 बीघा कमाण्ड भूमि पूर्व से उपलब्ध रही है। इस प्रकार से अपीलार्थी टी0सी0 भूमि धारणा के अधिकारी नहीं रहते हैं। अपीलार्थी के पक्ष में गलत तथ्यों के आधार पर टी0सी0 आवण्टन किया गया था जिसे खारिज करने में सहायक कलक्टर, कोलायत ने कोई भूल नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को विधिवत सुना गया है और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है किन्तु अपीलार्थी की ओर से अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित होने से, समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

6- अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकार्य व निर्विवाद तथ्य है है कि ग्राम अगनेउ, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर की आराजी खसरा नम्बर 210/2 में रकबा 19 बीघा भूमि अपीलार्थी खींव सिंह पुत्र फतह सिंह को तथा इसी खसरा नम्बर 210/2 में रकबा 13 बीघा भूमि रुप सिंह उर्फ बाघ सिंह पुत्र फतह सिंह को, उप निवेशन तहसीलदार, कोलायत नम्बर 1 द्वारा अस्थाई काश्त हेतु आवंटन किया, जो बाद में समय समय पर बढाया जाता रहा। सहायक आयुक्त, उप निवेशन, कोलायत ने अपीलार्थीगण का अस्थाई आवंटन खारिज करने का आधार लिया है कि खींव सिंह पुत्र फतह सिंह के पास 30-10 बीघा व उसकी पत्नी के पास 83-6 बीघा भूमि तथा बाघसिंह के पास पिता की भूमि में से 30-10 बीघा व पत्नी के पास 25 बीघा कमाण्ड भूमि पूर्व से उपलब्ध रही है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि अपीलार्थीगण भूमिहीन नहीं हैं और उनके पास पूर्व से ही काफी भूमि स्वयं व पत्नी की खातेदारी में रही है। अपीलार्थीगण किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य से ये साबित नहीं कर पाये हैं कि खींव सिंह पुत्र फतह सिंह के पास 30-10 बीघा व उसकी पत्नी के पास 83-6 बीघा भूमि तथा बाघसिंह के पास पिता की भूमि में से 30-10 बीघा व पत्नी के पास 25 बीघा कमाण्ड भूमि पूर्व से उपलब्ध नहीं रही है। सहायक आयुक्त, उप निवेशन, कोलायत द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि विद्वान अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा विधिवत रुप से की गई है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं और समवर्ती निर्णयों में बिना किसी ठोस साक्ष्य के, द्वितीय अपीलीय न्यायालय के स्तर से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। RBJ (23) 2016 page 482 DB BOR, RBJ (4) 1997 page 39 DB BOR, RBJ (16) 2009 page 725 DB BOR में माननीय राजस्व मण्डल ने स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि समवर्ती निष्कर्षो में मण्डल के स्तर से द्वितीय अपील में हस्तक्षेप उचित नहीं है। फलतः अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती हैं।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य